न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री दौलतराम चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या :– ए 01/2019

अपीलान्टान	बनाम	रेस्पोडेन्टान
1. सनु देवी पत्नि जगदीश भाटी जाति माली, निवासी सोजतसिटी, जिला पाली राज0।	1.	सरपंच ग्राम पंचायत रेन्दड़ी, तह0 सोजत, जिला पाली, राज0।
	2.	सचिव ग्राम पंचायत रेन्दड़ी, तह0 सोजत, जिला पाली, राज0।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध बासनी तिलवाड़िया ना.स. 292 स्वीकृत दिनांक 28.08.2004 सरपंच ग्राम पंचायत रेन्दड़ी

तारीख रजू :– 24.08.2020

उपस्थितिः–

1. श्री महेन्द्र चौधरी, श्री गणेशराम देवासी, अधिवक्तागण अपीलान्ट उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक – 24.08.2020

अधिवक्ता अपीलान्ट ने एक राजस्व अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टान अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि सरहद मौजा बासनी तिलवाड़िया, पटवार हल्का आलावास, तह0 सोजत में खसरा संख्या 91 रकबा 1.2700 हैक्टर किस्म मेहन्दी कृषि भूमि स्थित है, अपीलान्ट ने उक्त कृषि भूमि मोहनलाल पुत्र रावतराम से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। अपीलान्ट ने अपने उक्त दस्तावेजात बेचाननामा मे सनु देवी पत्नि जगदीश चन्द्र के नाम से खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था। उक्त बेचान आधार पर नामान्तरण तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किया जाकर भू अभिलेख निरीक्षक से जांच करवाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से स्वीकृत करवा दिया गया, उक्त नामान्तरण में अपीलान्ट का नाम सनु देवी के स्थान पर धनु देवी दर्ज कर दिया गया जो गलत दर्ज हुआ है जबकि अपीलान्ट का सही नाम सनु देवी ही है। तथा बेचाननामा मे भी सनु देवी पत्नि जगदीश चन्द्र के नाम से है। राजस्व रेकर्ड में नामान्तरण दर्ज करते समय तत्कालीन पटवारी हल्का के द्वारा सहवन से एवं भूलवश सनु देवी के स्थान पर धनु देवी दर्ज कर दिया गया। जो गलत दर्ज हुआ है तथा उक्त नामान्तरण के आधार पर बनी जमाबन्दी में भी धनु देवी दर्ज हो चुका है जो वर्तमान में उक्त कृषि भूमि धनु देवी के नाम से दर्ज चली आ रही है। अपीलान्ट अपनी उक्त कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु जमाबंदी की नकले प्राप्त करने पर जानकारी में आया कि राजस्व रेकर्ड में जमाबंदी मे धनु देवी के नाम से दर्ज चली आ रही है, तब अपीलान्ट ने नामान्तरण संख्या 292 तहसीलदार सोजत के कार्यालय से दिनांक 28.02.2019 को प्राप्त करने पर पूर्ण जानकारी प्राप्त हुई की नामान्तरण संख्या 292 दर्ज करते समय तत्कालीन पटवारी हल्का की गलती की वजह से धनु देवी दर्ज हो गया। जिससे वर्तमान रेकर्ड में भी धनु देवी नाम चला आ रहा है, जो गलत नाम दर्ज हुआ है, तत्कालीन पटवारी की गलती की वजह से नामान्तरण में नाम गलत दर्ज करने से पुनः सही नाम दर्ज करवाने हेतु अपील के अलावा अन्य विकल्प नहीं होने से यह न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया है। अपीलान्ट को अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु हाल ही जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर राजस्व रेकर्ड में धनु देवी के नाम से दर्ज होने एवं उक्त नामान्तरण संख्या 292 की नकल दिनांक 28.02.2019 को प्राप्त होने पर पूर्ण जानकारी हुई कि नामान्तरण दर्ज करते समय नामान्तरण के स्थान पर सनु देवी के स्थान पर धनु देवी दर्ज हो गया है, इसलिए यह अपील अन्दर म्याद पेश है फिर भी अपील अन्दर म्याद सुमार करने हेतु अलग से धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। वादग्रस्त कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम बासनी तिलवाड़िया में स्थित होने एवं नामान्तरण संख्या 292 ग्राम पंचायत बासनी तिलवाड़िया द्वारा जारी स्वीकृत किये जाने से न्यायालय हाजा का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। अतः अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एव धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत देरीना अवधि को कण्डोन करते हुय नामान्तरण संख्या 292 स्वीकृत दिनांक 21.06.2004 ग्राम पंचायत बासनी तिलवाड़िया को खारिज फरमाया जाकर पुनः

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner

बेचाननामा दिनांक 21.06.2004 के आधार पर धनु देवी के स्थान पर सनु देवी के नाम से खसरा संख्या 91 का नामान्तरण दर्ज करने अपील स्वीकार फरमाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टान को जरिए सम्मन्स तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को बावजूद तामिली/सुचना बार–बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से दिनांक 24.08.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट सुनी गई। सरपंच ग्राम पंचायत बासनी तिलवाड़िया द्वारा नामान्तरकरण संख्या 292 स्वीकृत दिनांक 28.08.2004 में भूल वश सनुदेवी पत्नि जगदीश के स्थान पर धनु देवी पत्नि जगदीश दर्ज कर दिया गया जबकि बेचान दस्तावेज में सनुदेवी पत्नि जगदीश चन्द्र अंकित है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना विधिक जांच किए उक्त नामान्तरकरण भरा गया जो अवैध एवं विधि विरूद्ध होने से धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त नामान्तरकरण खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस अपीलाण्ट व धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अध्ययन गौर व मनन किया गया। वस्तुतः ग्राम पंचायत रेन्दडी द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 292 स्वीकृत दिनांक 28.05.2004 बेचान दस्तावेजात के आधार पर स्वीकृत किया गया है। बेचान दस्तावेजात दिनांक 21.06.2004 में अपीलाण्ट का नाम छनुदेवी दर्ज है। किन्तु नामान्तरकरण दर्ज करते समय छनु के स्थान पर घनु देवी अंकित हो गया जो कि त्रुटिपूर्ण है। धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र युक्तियुक्त होने से स्वीकार किया जाकर देरीना अविधि को कण्डोन (क्षम्य) किया जाता है। फलस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 292 दिनांक 28.02.2019 को खारिज किया जाना तथा तहसीलदार, सोजत को मूल नामान्तरकरण इस निर्देश के साथ कि वे अपीलान्ट सनु देवी पत्नि जगदीश के नाम की विधिक रूप से पुनः जांच करके नामान्तरकरण पारित करने हेतु प्रति प्रेषित किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत रेन्दडी द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 292 स्वीकृत दिनांक 21.06.2004 विधि–विरूद्ध होने से खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार, सोजत को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाता हैं कि वे नामान्तरण संख्या 292 स्वीकृत दिनांक 21.06.2004 ग्राम पंचायत बासनी तिलवाड़िया में बेचाननामा दिनांक 21.06.2004 व अन्य विधिक दस्तावेजो के आधार पर खसरा संख्या 91 का नामान्तरण का पुनः नये सिरे से जांच करके विधिसम्मत नामान्तरकरण पारित करें। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

यह निर्णय आज दिनांक 24/08/2020 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner